लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स पाहंदा सेण्ड माईन (प्रो. – श्री गुरुचंरण सिंह गुम्बर), ग्राम – पाहंदा, तहसील – लवन, जिला – बलौदाबाजार – भाटापारा (छ.ग.) स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 1212, कुल क्षेत्रफल – 9 हेक्टेयर में प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता – 1,62,000 घनमीटर प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 25.11.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के तहत मेसर्स पाहंदा सेण्ड माईन (प्रो. – श्री गुरुचंरण सिंह गुम्बर), ग्राम – पाहंदा, तहसील – लवन, जिला – बलौदाबाजार – भाटापारा (छ.ग.) स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 1212, कुल क्षेत्रफल – 9 हेक्टेयर में प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता – 1,62,000 घनमीटर प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् लोक सुनवाई कराने हेतु छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया है। दैनिक समाचार पत्रों देशबंधु, रायपुर एवं अमृत इंडिया, नई दिल्ली, में दिनांक 25/10/2024 को लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 25.11.2024 समय अपरान्ह 02:00 बजे लोकसुनवाई का आयोजन शासकीय प्राथमिक शाला भवन, ग्राम– पाहंदा, तहसील – लवन, जिला – बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर और जिला प्रशासन जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा द्वारा संयुक्त रुप से किया गया है, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित की गई व तामीली भी ली गई।

परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् लोक सुनवाई दिनांक 25.11.2024 को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई स्थल में क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर तथा गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं लगभग 200 जन सामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई की प्रकिया अपरान्ह 02:00 बजे आरंभ हुई।
2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रकिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये है, उनकी सूची संलग्नक–01 अनुसार है, (पृष्ठ क्रमांक 1 से 10 तक)।

3. क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदया से लोक सुनवाई आरंभ करने का निवेदन किया गया।

4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की गई तथा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया।

5. परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री राजेश कुमार गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि, श्री गुरूचरण सिंह गुम्बर ने कहा कि आज दिनांक 25.11.2024 को शासकीय प्राथमिक शाला भवन ग्राम पाहंदा, तहसील लवन, जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) में परियोजना प्रस्तावक श्री गुरूचरण सिंह गुम्बर आवेदित पाहंदा सेण्ड माईन (प्रो. श्री गुरूचरण सिंह गुम्बर), प्रस्तावित नदी रेत खदान परियोजना के पर्यावरण स्वीकृति के तहत् लोक सुनवाई कार्यक्रम में माननीय अपर कलेक्टर महोदय, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, जिला रायपुर, समस्त गणमान्य आगन्तुक एवं उपस्थित ग्रामवासी का मैं स्वागत करता हूँ। हमारी ओर से परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु नेबेट प्रमाणिक अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार मंडल के सदस्य को आमंत्रित करता हूँ।

श्री बुद्ध देव पाण्डेय, नेबेट प्रमाणित अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार ने कहा कि माननीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला बलौदाबाजार– भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, समस्त गणमान्य आगन्तुक एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासी, परियोजना प्रस्तावक का स्वागत है। यह खदान राज्य सरकार के नियमानुसार जारी नीलामी प्रक्रिया के तहत कोऑर्डिनेट के आधार पर किया गया है जो इस प्रकार है – **P 1 21°34'18.68"N, 82°21'33.77"E, P 2 21°34'14.57"N , 82°21'40.61"E , P 3 21°34'4.85"N, 82°21'29.28"E P 4 21°34'8.57"N , 82°21'24.00"E,** कुल आवेदित क्षेत्र – 9 हेक्टेयर , ग्राम– पाहंदा , तहसील – लवन, जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) खदान की वार्षिक उत्पादन क्षमता – 1,62,000 घनमीटर/वर्ष क्लस्टर क्षेत्र हेक्टेयर लोकसुनवाई का आयोजन शासकीय प्राथमिक शाला भवन, ग्राम– पाहंदा, तहसील –लवन, जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) में दिनांक 25/11/2024 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर और जिला प्रशासन जिला – बलौदाबाजार– भाटापारा द्वारा संयुक्त रुप से किया गया है। जन सुनवाई की प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार है 14 सितंबर 2006 के ईआईए नोटिफिकेशन और इसके अधीन किए गए संशोधनों के अनुसार क्षेत्र बी–1 श्रेणी में आता है, जिसके अंतर्गत आज आयोजित लोक सुनवाई का कार्यक्रम पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया का

आवश्यक भाग है। लोक सुनवाई की जानकारी को 2 समाचार पत्रों क्रमशः देशबंधु, रायपुर एवं अमृत इंडिया, नई दिल्ली, में दिनांक 25/10/2024 को प्रकाशित किया गया है। लोक सुनवाई संपन्न होने की नियत तिथि एवं स्थान की सूचना को सार्वजनिक किया गया। आदेशानुसार कोटवार ग्राम पंचायत–पाहंदा, द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थानों पर मुनादी करते हुए लोकसुनवाई का दिन समय और स्थान को मुनादी करते हुए जनसामान्य को सूचना दी गयी। लोक सुनवाई हेतु जन सूचना के सम्बन्ध में, कार्यालय कलेक्टर जिला बलौदाबाजार– भाटापारा, द्वारा दिनांक 18/10/2024 को पत्र जारी किया गया था। प्रस्तावित परियोजना का आधार – खनिज विभाग जिला बलौदाबाजार– भाटापारा द्वारा ,छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 के नियम 6 के अनुसार रेत खदान की नीलामी के उपरांत आवेदक को अधिमानी बोलीदार घोषित करने के साथ, आवश्यक शासकीय अनुमति एवं प्रपत्र के साथ 5 वर्षों के रेत खनन के लिए आशय पत्र जारी किया गया है,सेण्ड माईन खदान का उत्खनिपट्टा के लिए नियमानुसार समस्त शासकीय अनुमतियां प्राप्त की गयी है एवं की जा रही है। आवेदित क्षेत्र से संवेदनशील संरचनाओं की दूरी मानकों से अधिक है। अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार खदान में कुल रिकव्हरेबल रिजर्वस 1,62,000 घनमीटर है। खदान में कुल जल की आवश्यकता 8.00 किलो लीटर प्रतिदिन होगी। खदान में कुल जनशक्ति की आवश्यकता 19 व्यक्ति होगी । खदान में कुल मशीनों एवं उपकरणों की संख्या 6 होगी। जलवायु स्थिति – अध्ययन काल – शीत ऋतु 2023 –24 (18 अक्टूबर 2023 से 18 जनवरी 2024) अधिकतम तापमान – 28.4°C, न्यूनतम तापमान – 7.38°C, हवा की गति– 2.19 मीटर/सेकंड, प्रभावी पवन दिशा – उत्तर –पूर्व, औसत वर्षा – 0–1.92 मिलिमीटर, पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन काल – वायु, ध्वनि, जल एंव मृदा के विश्लेषण के परिणाम निर्धारित मानकों के भीतर पाए गये। हमारे द्वारा लोडिंग (भरना) – लोडिंग और हौल रोड़ पर पानी का छिडकाव किया जायेगा। परिवहन –ट्रकों को तारपोलिन द्वारा ढका जाएगा। ओवर लोडिंग को रोका जायेगा। सभी परिवहन साधनों के लिए वैध पी.यू.सी. होना सुनिश्चित किया जाएगा। पौधारोपण – एप्रोच सड़क, कच्ची सड़कों में एवं नदी तट पर में पौधे लगाकर हरित पट्टिका का विकास किया जाऐगा। वायु गुणवत्ता – वाहनों की आवाजाही और लोडिंग आदि के कारण धूल के उत्पादन और प्रभाव और प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिडकाव किया जायेगा। डीजल इंजनों का नियमित रखरखाव किया जायेगा। सतह जल प्रबंधन – सतही जल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। सक्रिय चैनल में खनन नहीं किया जाएगा और सक्रिय चैनल के साथ न्यूनतम 3 मीटर का बफर जोन छोड़ा जाएगा ताकि जलीय जीवन और नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा न आए। भूमिगत जल प्रबंधन – आवेदित नदी तल क्षेत्र पर रेत का जमाव औसत 5.17 मीटर या उससे अधिक की गहराई तक है। इस क्षेत्र में भूजल स्तर नदी के तल की सतह के स्तर से 4.08 मीटर गहराई से नीचे है। खनन 3 मीटर जल स्तर की गहराई तक सीमित रहेगा। रेत में कोई

विषैला तत्व नहीं होता है, इस प्रकार भूजल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपशिष्ट जल प्रबंधन – खनन कार्य के दौरान कोई अपशिष्ट जल उत्पन्न नहीं होगा। अस्थायी साइट कार्यालय और एक विश्राम आश्रय का निर्माण किया जाएगा। खदान कार्यालय और विश्राम आश्रय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे बनाए जाएंगे। मृदा प्रबंधन – खदान में किसी भी प्रकार का ओवरबर्डन या टॉप साइल नहीं होता अतः मृदा प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं होगी । स्वास्थ्य, सुरक्षा हेतु ऑन – साइट प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, है और आपात स्थिति में कर्मचारियों को स्थानीय समुदाय तक पहुंचाया जाएगा। ध्वनि गुणवता प्रबंधन – ध्वनि स्तर को कम करने के लिए वाहनों एवं मशीनों का उचित रख–रखाव, आइलिंग एवं ग्रीसिंग की जायेगी। सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगें। ध्वनि के प्रसार को कम करने के लिए कच्ची सड़कों एवं नदी तट एवं अप्रोच सड़क पर हरित पट्टिका का विकास किया जाऐगा। आवधिक ध्वनि परीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। जोखिम वाले श्रमिकों द्वारा कान के मफस का उपयोग किया जाएगा। खनन उपकरण पर काम करते समय COVID -19 को देखते हुए कान के मफ, मास्क और सभी आवश्यक पीपीई प्रदान किए जाएंगे। हरित पट्टिका विकास – खदान के समीप नदी के तट पर, स्थित खसरा नंबर 1133/1 वाली सरकारी जमीन में 1,800 स्थानीय प्रजाति के पौधें जैसे अर्जुन, जामुन ,करंज ,सीसम, कदम्ब आदि पौधे लगाए जायेंगे एवं सुरक्षा के लिए फेंसिंग की जावेगी । सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव परियोजना से समीपस्थ कृषि भूमि को कोई नुकसान नही है। परिणामतः परियोजना गतिविधि से कोई भी अन्य भूमि या मानव बस्ती प्रभावित नही होगी। परियोजना के शुरु होने के साथ लोगों द्वारा अनुमानित किए जाने वाले प्रभाव की तुलना में बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव होगा। आसपास के निवासियों को बेहतर रोजगार और अवसर के साथ रखा जावेगा, जिससे भूमिहीन और श्रमिक वर्ग के लिए अधिक आजीविका का विकल्प पैदा होगा। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मानकों के साथ परिवहन और संचार सुविधा को क्षेत्र के आसपास विकसित किया जायेगा। जिसका स्थानीय निवासियों को लाभ मिलेगा। खनन कार्य से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिलेगा, जिससे निवासरत् लोगों का जीवनस्तर सामान्य से बेहतर होगा। आसपास के गांवों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा की सुविधा जैसे विकास कार्य लोगों की आवश्यकता के अनुसार योजना बनाई जाएगी जिसे ग्राम समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।एक योग्य खान प्रबंधक के प्रबंधन नियंत्रण और निर्देशन में पूरा खनन कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम – 2019 एवं बाद में हुए संशोधनों, उसमे निहित निर्देशों के अनुसार खनन कार्य किया जाएगा। व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा माइन्स नियम, 1956 के अनुसार प्रारंभिक चिकित्सा जांच और श्रमिकों की आवधिक चिकित्सा जांच आयोजित की जाएगी। सफाई सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी कर्मचारियों को

प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सुविधाएँ एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय अपनाये जाएंगे। श्रमिकों को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा कक्ष और सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खदान के लिए उचित अग्निशमन सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी। परियोजना से लाभ निर्माण के लिए उपयोगी आर्थिक संसाधन उत्पन्न करना। रोजगार पैदा करना। अध्ययन क्षेत्र के लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार। भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार। सामाजिक अवसंरचना में सुधार। रोजगार क्षमता में वृद्धि। खनन के दौरान और बाद में हरित आवरण में वृद्धि। अवैध खनन की रोकथाम। राजकोष में योगदान। खान पट्टा क्षेत्र के आसपास के निवासी मुख्य रूप से कृषि प्रधान हैं। रोजगार गतिविधियों के अवसर सृजित होंगे और खनन स्थायी आजीविका के स्रोत के रूप में काम करेगा। खदान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार सृजित करेगी। अतिरिक्त, परिवहन जैसे कुछ कार्यों को अनुबंध पर आउटसोर्स किया जाएगा। इसलिए, खनन का समग्र प्रभाव सकारात्मक रहने की उम्मीद है। परियोजना की लागत खदान की कुल पूंजी लागत की राशि – 59.72 लाख रुपये है। खदान के लिए सीईआर की कुल राशि. 1.30 लाख रुपये होगी। पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत खदान के नदी तट क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं अप्रोच रोड ,रैंप में जल छिड़काव की व्यवस्था, सड़क के रखरखाव, खान श्रमिकों के लिए सुविधाएं एवं पर्यावरण की निगरानी एवं ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर इत्यादि के लिए बजट कुल पूंजीगत लागत 3,90,000 कुल आवर्ती लागत रुपये में 6,20,500 ,कुल पूंजी लागत रुपये में 3,90,000/– कुल आवर्ती लागत रुपये में – 6,20,500/– ,प्रथम वर्ष में ईएमपी की कुल लागत रुपये में 10,10,500/– रखी गई है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि खनन परियोजना के क्रियाकलापों के प्रारंभ होने के साथ ही आसपास के क्षेत्र में एवं स्थानीय निवासियों को जीवन स्तर को ऊपर उठाने और बुनियादी ढॉचें के विकास का अवसर प्राप्त होगा। खनन परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रुप से रोजगार का सृजन होने से क्षेत्र के निवासियों को उपलब्ध संसाधनों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह खनन परियोजना से राज्य के राजकोष में राजस्व में भागीदारी के साथ–साथ राज्य के वित्तीय विकास में अपना अंशदान एवं योगदान भी देगा। जो राज्य शासन के वित्तीय विकास मे क्षेत्र निवासियों की भागीदारी साबित करेगा। परियोजना से संबंधित अन्य जानकारियां पर्यावरण, प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन रिपोर्ट, कार्यकारी सारांश इत्यादि को, नियमानुसार पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई है। प्रस्तुतीकरण की प्रति, लोकसुनवाई के अध्यक्ष, अपर कलेक्टर जिला बलौदाबाजार – भाटापारा, क्षेत्रीय अधिकारी राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर तथा सहयोगी दल को भी उपलब्ध करा दी गयी है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के द्वारा कहा गया कि अभी आपके सामने परियोजना का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में विचार व्यक्त करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आप कृपया

यहां पर आयें माईक के पास एक–एक कर के और इस परियोजना के संबंध में अपना पक्ष या विपक्ष जो भी आप कहना चाहते हैं आकर अपना विचार रखें। आप अपना विचार व्यक्त करने से पहले अपना नाम और गांव का नाम बतायें। इसके बाद आप अपना विचार रखें। जिनको लिखित में देना है, वो लिखित में भी दे सकते हैं। मंच के पास काऊंटर बना है, वहां आप अपना लिखित में अभ्यावेदन दे सकते हैं और जिनको बोलना है वो कृपया माईक पर आयें और अपना विचार व्यक्त करें।

1. श्री दौलत राम साहू, ग्राम खैरा ने कहा कि आप लोग घाट के संबंध में पेड़ लगाने बोलते हो लेकिन यहाँ घाट वाले पेड़ को काटते हैं।

2. श्री प्रेम लाल साहू, जनपद सदस्य ग्राम खैरा ने कहा कि अभी अधिकारी महोदय ने जो नियम बताये हैं, उसमें मुझे बहुत सारी आपत्ति दर्ज करानी है जैसा कि अभी हमारे दौलत राम भाई ने बताया कि वृक्षारोपण कराना है। अभी तक इसके पूर्व यहाँ जो घाट संचालित हो रहा था उसके लिए भी रायल्टी नियम थे लेकिन उसने भी वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया। साथ ही साथ शासन के नियमानुसार जो भी रायल्टी पट्टेदार के द्वारा जारी की जाती हैं उसका 25 % की राशि ग्राम पंचायत के खाते में जमा होना रहता हैं लेकिन अभी मैं बता दूँ कि किरमा घाट में इसके पहले 3 साल तक रेत घाट संचालित हुआ हैं चूंकि वो मेरा जनपद क्षेत्र हैं इसलिए में बात को रख रहा हूँ वहाँ 3 साल हो गए रेत घाट संचालित हो रहा हैं लेकिन अभी तक उसमें का 1 रुपया भी पंचायती खाते में नहीं आया हैं यदि हम यहाँ भी रेत घाट स्वीकृत कराते हैं या देते हैं तो हमारी पंचायत को क्या फायदा होगा चूंकि इसके पहले फायदा हुआ नहीं हैं अभी तक से और यहाँ मेन्यूल लोडिंग है या मशीन से लोडिंग है और अगर मशीन से लोडिंग हैं तो मजदूरों को क्या फायदा होगा। यहाँ पर अभी अधिकारी साहब बोल रहे थे कि यहाँ पर रोड बना के देते हैं, और हैवी लोड गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो 40 टन–50 टन की गाड़ियाँ दिन रात दौड़ती रहती हैं। शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसके पूर्व में जब यहाँ रेत घाट चल रहा था, चूंकि यहाँ पर स्टॉप डेम बना हुआ है, स्टॉप डेम पानी रोकने के लिए बनाया गया है शासन द्वारा इतना खर्चा करके, और इस क्षेत्र में वाटर लेवल कम ना हो इसके लिए बनाया गया है। चूँकि जो रेत घाट चलाते हैं, उस ठेकेदार के द्वारा जो गेट बना है, एनीकट में जो गेट लगा है, उसको रात को खोल देते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे नदी का पानी पूरा सूख जाता है। ग्राम पाहंदा वालों का पूरा निस्तारी का साधन एक ही है महानदी, चूंकि यहाँ पर तालाब नहीं है, गर्मियों में पानी की इतनी दिक्कत होती है। तो हर लोग त्रस्त हैं। आसपास के गांव के वाटर लेवल भी डाउन हो जाते हैं। तो रेत घाट की जगह है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और नियम का पालन करते हुए, पट्टदार को नियम का पालन कराते हुए रेत घाट को स्वीकृत किया जाए। यही मेरा सुझाव है और भविष्य में जरूरत पड़ने पर पुनः बोलूंगा। धन्यवाद।

3. श्री रतन कुमार निषाद, सफाई कर्मचारी स्कूल ग्राम पाहंदा ने कहा कि मैं देख रहा हूँ 14 साल हो गए लगे हुए नदी का खार है, पानी भरा रहता है, बाउंड्री नहीं हुआ है, सब स्कूल का बाउंड्री हो गया है, लेकिन हमारे स्कूल का बाउंड्री नहीं हुआ है। बच्चे लोग उस साइड पे पानी भरा होता है तो उस साइड नदी की ओर चले जाते हैं।

4. श्री मोती राम पाण्डे, ग्राम पाहंदा ने कहा कि मेरा सुझाव है कि स्कूल बाउंड्री को बने 15–20 साल हो गए लेकिन बाउंड्री अभी तक नहीं बना है और पाहंदा में एनीकट तो बन गए हैं लेकिन महानदी में स्टॉप डेम बनाना चाहिए।

5. श्री सोनू केंवट, ग्राम पाहंदा ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रेत खनन ना हो और अगर खनन हो तो सीमांकित क्षेत्र को चिन्हांकित किये जाए पहले और सर अभी जो प्रस्ताव बता रहे थे उसका गाँव में एक प्रति मिलना चाहिए।

6. श्री गणेश पैकरा, ग्राम पाहंदा ने कहा कि हम गर्वमेंट से लड़ नहीं सकते, यह आप देख ही सकते हो, आप घाट से रेत ले सकते हो, आप हमारे घाट को ले सकते हो, आप और हमें उतने किलोमीटर से हमारे गाँव को शहर से बाँधना पड़ेगा। हम लोग घाट देने के लिए तैयार हैं।

7. श्री लवण निषाद, ग्राम पाहंदा ने कहा कि यहाँ पर रेत खदान नहीं होना चाहिए और यहाँ एक स्कूल है और यहाँ छोटे–छोटे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर बाउंड्री नहीं है जिसके लिए हमने लिखित में आवेदन किया है लेकिन यहाँ पर बाउंड्री नहीं बन पा रही है और जब नदी में बाढ़ आता है तो पूरा पानी यहाँ पर आ जाता है और दोनों तरफ जंगल है तो इसके लिए हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है तो आपसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर बाउंड्री चाहिए और यहाँ से 1 कि.मी. दूर पर सड़क है जो पूरी खराब है आपसे निवेदन है कि वहाँ भी स्वीकृति कर दीजिए। रोड खराब होने से बहुत दिक्कत और परेशानी होता है। किसी का तबियत खराब हो जाने पर उसे उठा कर लाना पड़ता है, पूरी रोड जर्जर है बरसात के दिन में बहुत तकलीफ होता है और रेत खदान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।

8. श्री काति कुमार साहू, सचिव, ग्राम पंचायत पाहंदा ने कहा कि मेरा सुझाव है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एवं गाँव के विकास के लिए रेत घाट को खनन के लिए देना अति आवश्यक है और रह गया सवाल कि जो रूप रेखा बतायें हैं अधिकारी जी द्वारा उसका अच्छे से पालन किया जाए। यही शुभकामनाओं के साथ में अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि हर स्थिति में यहाँ गाँव का विकास होना चाहिए क्योंकि यहाँ स्थिति बहुत जर्जर है। यह गाँव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने से सभी नदी–नाले में हमेशा बाढ़ आ जाता है। स्कूल के सम्बन्ध में बोलना चाहूँगा कि उसके बारे में कई प्रकार के आवेदन किये जा चुके हैं, सेंक्शन हो गया था फिर कैसिल हो गया हैं तो प्रयास किया जा रहा हैं लेकिन अभी वर्तमान में रेत घाट के सम्बन्ध में बोलना हैं कि निश्चित दिया जाना उचित हैं मेरे अनुसार । पर्यावरण को भी ध्यान में रखा

जाए और रेत खदान को चालू करने का आदेश दिया जाए। इन्हीं शब्दो के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ।

9. श्री शिवलाल पैकरा, ग्राम पाहंदा ने कहा कि रेत खदान पूरी तरह से बन्द होना चाहिए क्योंकि जो स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हैं, जो लोग हैं जो अगले गाँव जाते है उन लोग को समस्या होता है क्योंकि बड़े–बड़े हाइवा ट्रक चलते हैं तो बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, डरते हैं, और आगे पढ़ने के लिए मना करते हैं इसलिए रेत खदान पूरी तरह से बन्द होना चाहिए।

10. श्री जम लाल साहू, ग्राम कुरमा ने कहा कि जो रेत खार हैं उससे 10 साल से रेत निकाल रहे हैं। हमारे ग्राम कुरमा का कुछ नहीं हुआ है।

11. श्री रामचन्द केंवट, ग्राम पाहंदा ने कहा कि अभी जो प्रस्ताव रखा हैं रेत खनन का तो मैं अपने विचार आप सभी अधिकारी के सामने रखता हूँ। रेत खनन ना हो यह तो लगभग सभी ग्रामवासी का विचार आ रहा है। क्योंकि यह हमारे जन–जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। रेत खनन के बाद में स्टॉप डेम को छोड़ देते हैं जिससे गर्मी में जो पानी अभी लबालब भरा हैं वो पूरा खाली हो जाता है। एक समय ऐसा आता है गर्मी में, जब आदमी लोग को गड्ढा खोद के नहाना पड़ता है और ये सबको देखते हुए मेरा विचार ये है कि रेत खनन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे जनता जल–जीवन से कोई प्रभावित न हो तो आप दे सकते हैं। रेत के खनन में पूरा डेम को छोड़ते हैं तो यहाँ से वहाँ तक पूरा खाली हो जाता हैं। महानदी इतना बड़ी नदी है। इसमें आप जब भी कभी गर्मी में आएंगे जब डेम खुला होगा तब वह पूरा सूखा रहता हैं और हमारे गाँव में और कोई दूसरा जरिया नहीं है कि हम नहा लें। गाँव में एक भी तालाब नहीं है जो है हैंडपंप और बोरिंग है तो मेरा विचार में रेत खनन नहीं होना चाहिए और हो तो गांव के हित में जाकर हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

12. श्री कमल बांधे, प्रदेश अध्यक्ष इंटक छत्तीसगढ़ ने कहा कि आज के पर्यावरणीय लोक सुनवाई में पहुंचे आदरणीय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी, आदरणीय एस. डी. एम. साहब, आदरणीय तहसीलदार साहब, आदरणीय नायब तहसीलदार साहब, हमारे पर्यावरण संरक्षण के सभी अधिकारी, श्रम व खनिज विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी और हमारे सुहेला थाना के प्रभारी व समस्त जिला आदरणीय कसडोल थाना प्रभारी एवं समस्त स्टाफ और पाहंदा सेण्ड माईन के संचालक श्री आदरणीय गुरुचरण जी, हमारे साथी भाई और हमारे सभी मजदूर यूनियन के साथी आस–पास से आये हुए हमारे जन प्रतिनिधि लोग, हमारे मीडिया के सभी साथी लोग आज पाहंदा सेण्ड माईन का पर्यावरणीय लोक सुनवाई में हार्दिक स्वागत करता हूँ और समर्थन करता हूँ। स्वागत और समर्थन इसलिए करता हूँ कि पाहंदा सेण्ड माईन के खुलने से हमारे स्थानीय बेरोजगार भाई लोग को काम उपलब्ध हो पाएगा जिससे वो अपना और अपने परिवार का भरण–पोषण

अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही गौण खनिज रायल्टी से मिलना वाला सी. एस. आर. फंड से हमारे पाहंदा और आस–पास के गाँव का विकास होगा। साथ ही गौण खनिज रायल्टी के डी.एम.एफ. फंड से राज्य को विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाएगी। साथ ही पाहंदा सेण्ड माईन के आदेश होने से हमारे गाँव के सर्वांगीण विकास तो तय है लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए मेसर्स पाहंदा सेण्ड माईन के संचालक से मैं प्रार्थना करता हूँ कि गाँव के जो सार्वजनिक मांग है और जनहित की जो मांग है उस मांग को गंभीरता से लेते हुए गाँव के हित में कार्य करेंगे। पुनः मैं पाहंदा सेण्ड माईन का समर्थन करता हूँ।

13. श्री तारक कुमार निषाद, ग्राम पाहंदा ने कहा कि जैसा कि आप अभी बताये कि पर्यावरण लोक जन सुनवाई के बारे में तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ही रेत खनन होगा तो जल का स्तर नीचे जाएगा तो कहाँ से हरियाली आएगी और पर्यावरण कैसे बचेगा, जब पानी होगा तब तो हरियाली आएगी। हम लोग बोलते हैं कि ग्राम पंचायत को पैसा मिलना चाहिए किसी को कुछ नहीं मिलता है सब अपना–अपना देखते हैं लेकिन यहाँ रेत खनन नहीं होना चाहिए, इससे पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। यहाँ नदी के किनारे देखिये सब पेड़ मर गए हैं। यहाँ नदी के किनारे जितने पेड़–पौधे थे सब कहाँ गए ? हम लोग चाहते है कि सब जगह हरा–भरा रहे, जितना हरा–भरा होगा उतना ही ज्यादा बारिश होगी। अगर ऐसा होता तो हम लोग परदेश में जाके नहीं कमातें। मैडम जी, ऐसा होता है. यहाँ सब बस अपना–अपना पेट भरना चाहते हैं बस अपना जेब भरते हैं, वो बोलता है ग्राम पंचायत को पैसा नहीं मिलता, किसी को पैसा नहीं मिलना चाहिए और रेत खनन नहीं होना चाहिए।

14. श्री सन्त राम यादव, ग्राम पाहंदा ने कहा कि हमारे गाँव में रेत खनन नहीं होना चाहिए क्योंकि डेम बना है उसका तो कोई मतलब नहीं होता है बनाने से क्या फायदा, पूरे गर्मी में देखो कोई मतलब नहीं है डेम बनाने का रेत खनन खुलने से पहले डेम को बम से उड़ा देना चाहिए।

15. श्री गिरधारी, ग्राम पाहंदा निवासी ने कहा कि यहाँ रेत खदान बिलकुल नहीं होना चाहिए और डेम को बन्द करना चाहिए। कलिन्दर बोना हैं तो यहाँ के लोगों को खुजली होती है, सब व्याकुल हो जाते हैं। रेत खदान बिलकुल नहीं होना चाहिए मैडम जी। हमारे गाँव की एकता का सवाल है, हम सब ग्रामवासियों ने सभा रखा था और हम मिलकर रेत खदान का विरोध करेंगे।

16. श्री गिरधारी, ग्राम पाहंदा निवासी ने कहा कि यहाँ रेत खदान की बात हो रही है। हमारे ग्राम पंचायत में बहुत गड़बड़ी होता है। रेत खदान खुलना चाहिए पर यहाँ बहुत गड़बड़ी है उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। यहाँ कलिन्दर बोना हैं कहीं भी कार्यक्रम करना हैं उसकी बहुत समस्या है। जरूरी यह है कि हमारे गाँव में हर समय ग्राम पंचायत पाहंदा में रेत खदान को लेकर बहुत गड़बड़ी

हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूँ यहाँ पर रेत खदान खोलना चाहते हैं तो खोल लें और इससे हमारे ग्राम पंचायत पाहंदा का फायदा होना चाहिए। यहाँ जो रेत खनन होगा इसमें इनको फायदा होगा और कलिन्दर बो रहे हैं उसमें भी फायदा होगा।

17. श्री खगेश्वर साहू, ग्राम तुमा ने कहा कि सर डेम का ऊपर का बात हैं कि नीचे का बात हैं, जो रेत खदान खुलना है।

18. श्री रम्मैया लाल यादव, सरपंच, ग्राम पाहंदा ने कहा कि आज बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत ही अच्छा है कि हमारे ग्राम पाहंदा में समस्त अधिकारी पहुंचे हैं और हमारे ग्राम पाहंदा को बिगाड़ने के लिए नहीं बनाने के लिए आए हैं। आदरणीय जिलाधीश, कलेक्टर महोदय, अधीक्षण महोदय, एस. डी. एम. महोदय सब ही अधिकारी आए हैं। हमारे बच्चों ने अभी बताया कि हमारे गाँव पाहंदा, खैरा में पीड़ा है निश्चित रूप से, कि स्कूल के बाऊंड्री के लिए बहुत सारे आवेदन दे चुका हूँ लेकिन वो काम नहीं हो पाया। यह बात है कि गाँव में विकास तो होना चाहिए। गाँव का विकास मुख्य मुद्दा है जिसे गाँव के युवा वर्ग ने उठाया है। उन्हें जानकारी नहीं है कि पर्यावरण के बारे में ही बोलना है और निर्माण कार्य कहाँ से होता है। हमारे युवा वर्ग ने निश्चित रूप से अच्छा बोला है। आज मैं बताना चाहता हूँ ग्राम पाहंदा और खैरा को कि हमारे गाँव में जो भी रेत खनन का कार्य होगा, सबसे पहली बात कि वो हमारे डेम के निचले भाग में होगा खनन का काम में सबको पता है और इसे चस्पा भी किया गया है। इसके पहले भी हमारे गाँव में कई लोग आके अपनी मनमानी करके रेत का खनन करके ले गए। खनिज विभाग को अवगत भी कराया गया था। अधिकारी लोग अपनी क्षमता के आधार पर और नियम कानून अनुसार काम भी कर रहे थे। आज अगर रेत खदान चालू होता है तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायत खैरा का फायदा होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। बताना चाहूँगा की हमारे ग्राम खैरा में अभी जो रेत खदान चालू होगा वो डेम के नीचे चालू होगा और उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। पर्यावरण में सुधार होगा। हमारे जन–जन सम्मत से होगा तो वृक्षारोपण भी होगा। मैंने तालाब बनवाया है और वृक्षारोपण का कार्य किया है और बहुत विकास हुआ है। मैं शासन को धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय जिलाधीश जी, पारदर्शिता के साथ जो कार्य हो रहा है वो सबके सामने हो रहा है। किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज हमारे बीच में लोक जनसुनवाई लगाया गया है। यह डेम जो बना है उसका पानी कौन निकालता है? हमें नियम बना के रहना होगा। डेम का गेट बन्द रहेगा तो निश्चित रूप से पानी का लेवल बढ़ता है और मैं भी नहीं चाहूंगा कि पानी का लेवल कम हो। ग्राम खैरा और पाहंदा वालों को बताना चाहूंगा जिस दिन से रेत निकलेगा वह

डेम के नीचे से निकलेगा और पानी का लेवल भी कम नहीं होगा। और कब होगा जब हम डेम के गेट को नहीं खोलेंगे। कुछ दिन पहले भास्कर में लिखकर आया भी कि डेम के पानी को अज्ञात आदमी द्वारा निकाल दिया गया है। जो सही नहीं है। गाँव में बहुत सारी परेशानी है इसलिए ग्रामवासी उखड़े हैं इस कारण रेत खदान का सभी विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दिशा निर्देश के अनुसार जो भी रेत खनन होगा, वो होना चाहिए। दिशा निर्देश को देखते हुए रेत खनन चालू होना चाहिए। इससे हमारे ग्राम और पर्यावरण का विकास होगा। मैं आग्रह और निवेदन करता हूँ ग्राम वासियों से।

19. श्री खिलावन निषाद केवट, ग्राम पाहंदा ने कहा कि जो सरपंच महोदय ने बोला है कि रेत के माध्यम से हमारे गाँव का उन्नति होगा, मैं पूछना चाहता हूँ कि रेत खदान से कैसे उन्नति होगा जो जेब में भरेगा वही उन्नति करेगा बाकि लोग क्या करेंगे। इतना समय हो गया है कि इस गाँव में सड़क नहीं बना हैं। रेत खदान से कितना बढ़ जाएँगे हम लोग चाहते हैं कि रेत खनन बन्द होना चाहिए।
20. श्री सोमकांत निर्मलकर, ग्राम मुंडा ने कहा कि मैं पाहंदा सेंड माईन का स्वागत और समर्थन करता हूँ। समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि जो अभी रेत खनन होगा उसमें हमारे भैय्या जी बोले हैं कि जो सी.एस.आर. का फंड आएगा उसे गाँव के विकास में लगायेंगे जो कि अच्छी बात है। इसलिए मैं समर्थन भी करता हूँ।
21. श्री परमेश्वर, ग्राम दुड़मा ने कहा कि हमारे गांव में भी रेत खनन हो रहा है तो इस गांव में भी होना चाहिए क्योंकि एक ही गांव से तो नहीं होगा ना इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा कहा गया कि इस जनसुनवाई में आम जनता के द्वारा जो अपना विचार व्यक्त किया गया है, उसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक क्या विचार रखते हैं, वो आ कर अपना स्पष्टीकरण दें।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री राजेश कुमार गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि, श्री गुरूचरण सिंह गुम्बर ने कहा कि हमारे द्वारा आवेदित रेत खदान के लोक सुनवाई में ग्रामवासियों के द्वारा सुझाये गये विकल्पो के संबंध में हमारी ओर से जवाब देने के लिए नेबेट प्रमाणिक अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार मंडल के सदस्य को आमंत्रित करता हूँ।

श्री बुद्ध देव पाण्डेय, नेबेट प्रमाणित अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार परियोजना प्रस्तावक की ओर से कहा गया कि लोक सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामवासियों के द्वारा सुझाये गए

विकल्पों को स्वीकार करते हुए माननीय अपर कलेक्टर जिला बलौदाबाजार – भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को परियोजना प्रस्तावक श्री गुरूचरण सिंह गुम्बर की ओर से यह आश्वासन देना चाहते हैं कि, आवेदक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान का संचालन अनुमोदित उत्खनन योजना में उल्लेखित नियमों के अनुरूप किया जावेगा एवं खदान संचालन के दौरान खनिज शाखा तथा पर्यावरण विभाग द्वारा निर्देशित नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की आदर्श पुनर्वास एवं रोजगार नीति के अनुसार, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जायेगा। रेत का परिवहन ग्रामीण मार्ग के अलावा अन्य गैर रहवासी क्षेत्र से होकर किया जावेगा। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु, सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करके प्रदूषण को कम किया जावेगा तथा अन्य धूल उड़ने वाले बिंदुओं पर जल का छिड़काव करके धूल उत्सर्जन को नियंत्रित किया जावेगा एवं समय–समय पर सड़क का उचित रख रखाव भी कराया जावेगा। सड़कों का उचित रख रखाव तथा वाहनों का स्ंचालन तारपोलिन ढंककर किया जावेगा। एम.ओ.ई.एफ. के ऑफिस मेमोंरेंडम संख्या F. No. 22-65/2017-IA.III dated 01/05/2018 के अनुसार परियोजना लागत का 2 प्रतिशत कारपोरेट इन्वायरमेंट रिस्पांसिबिलिटी के तहत स्थानीय शासकीय शालाग्राम–पाहंदा, में आवश्यकतानुसार स्कूल की बॉउंड्री वाल का निर्माण/रेनवाटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था, नल कूप उत्खनन एवं पम्प फिटिंग कर पीने के पानी की व्यवस्था एवं विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण की पुस्तकों का वितरण या ग्राम के तालाब में वृक्षारोपण इत्यादि के लिए कुल राशि 1.30 लाख रूपये SEAC एवं SEIAA के निर्देशानुसार आवेदक द्वारा खर्च किए जाऐंगे। नदी तट क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत 1,800 नग पौधे, स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण तथा सुरक्षा के लिए चेनलिंकफेंसिंग के साथ, नियत अंतराल पर वृक्षारोपण किया जावेगा। ग्राम वासियों के द्वारा अन्य सुविधाओं की मांग एवं ग्राम पंचायत म ेंविकास के अन्य कार्यों के बारे में यह कहना चाहेंगें की खदान के संचालन के दौरान पट्टेदार द्वारा रायल्टी के साथ–साथ जिला खनिज निधि (DMF) की निर्धारित राशि प्रतिमाह शासन को जमा की जावेगी, जिसका उपयोग शासन द्वारा विभिन्न मदों में किया जाता है। माननीय अपरकलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से हमारा अनुरोध है कि ग्रामवासियों के द्वारा की गयी मांगों को यथोचित संज्ञान में लेते हुए निर्णय लेते हुए सम्बंधित कार्यालय को सूचित करने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम–2019, सस्टेनेबल सेंड माइन गाइडलाइन 2016 एवं एनफोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाइड लाइन फॉर सैंड माइनिंग 2020 के अनुसार समस्त सार्वजनिक स्थलों से नियमानुसार दूरी रखते हुए रेत उत्खनन हेतु कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.), द्वारा सम्बंधित विभागों जैसे ग्राम पंचायत, राजस्व विभाग, खनिज विभाग, वन विभाग इत्यादि से कानून सम्मत नियमानुसार प्रक्रिया के तहत अनुमति/जॉच प्रतिवेदन मॅगाया जाता है। विभिन्न विभागों के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन को जॉच

लेने के पश्चात्, चिन्हांकित सीमांकित करते हुए घोषित किया गया है। कार्यालय कलेक्टर जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.), द्वारा टेंडर/ऑक्शन जारी करते हुए विजेता को आशय पत्र जारी किया गया है। नदी तट से 75 से 115 मीटर की दूरी, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम–2019, सस्टेनेबल सेंड माइन गाइड लाइन 2016 एवं एनफोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाइड लाइन फॉर सैंड माइनिंग 2020 के अनुसार नियत प्रतिबंधित दूरी छोड़ते हुए रेत का खनन नियमानुसार प्रस्तावित है। इसके साथ ही–जलीय जीवन और तटीय आवासों की सुरक्षा के लिए सक्रिय चैनल में खनन नहीं किया जाएगा और सक्रिय चैनल के साथ न्यूनतम 3 मीटर का बफर जोन छोड़ा जाएगा ताकि जलीय जीवन और नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा न आए। नियमानुसार एनीकट से अपस्ट्रीम में 250 मीटर एवं डाउन स्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी छोड़ते हुए शासन द्वारा खदान घोषित की गयी है। भूजल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी क्योंकि सस्टेनेबल सेंड माइन गाइडलाइन 2016 एवं एनफोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन फॉर सैंड माइनिंग 2020 के अनुसार खनन की प्रस्तावित गहराई 01 मीटर है और जलस्तर की गहराई से 01 मीटर ऊपर तक खनन सीमित रहेगा। भूमिगत जल के नीचे खदान में उत्खनन पूर्णतः प्रतिवंधित होगा। भूजल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी क्योंकि खनन तत्समय के जलस्तर की गहराई से उपर तक सीमित रहेगा। हमारे प्रकरण में लोकसुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्दे उठाए गये हैं उसके संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब एवं जानकारियों के अनुसार निराकरण किया जाएगा। इस सम्बन्ध में शपथ पत्र भी राज्य स्तर पर्यावरण समाघात प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जावेगा ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा ने कहा कि आज इस जन सुनवाई में जो भी कार्यवाही की गई वो सभी रिकॉडिंग कर ली गई है। आप सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विचार अपना अभिमत व्यक्त किया। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करती हूॅ और आज की जन सुनवाई यहीं पर समाप्ति की घोषणा करती हूॅ। दोपहर लगभग अपरान्ह 03:50 बजे लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई। लोकसुनवाई के संबंध में प्राप्त आवेदनों की संख्या 02 है। संपूर्ण लोक सुनवाई की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर (छ.ग.)	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)